राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

51वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2014 से संबंधित कार्य बिन्दु

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अतंर्गत समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए सभी **हाउसहोल्ड का सर्वेक्षण** उपरांत छूटे हुए सदस्यों के बैंक खाते 31 दिसम्बर, 2014 तक अवश्य खुलवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को भेजें। **(कार्रवाई – समस्त बैंक)**	
2	सभी बैंक अपने आवंटित एस.एस.ए. जहाँ टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध है वहाँ बी.सी. नियुक्त कर क्षेत्रवासियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें। **(कार्रवाई – समस्त बैंक)**	
3	केंद्र / राज्य सरकार एवं बी.एस.एन.एल. राज्य के शेष 1397 एस.एस.ए. में टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाए ताकि बैंकों द्वारा क्षेत्रवासियों को ऑन-लाइन बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सकें। **(कार्रवाई – राज्य सरकार / भारत संचार निगम लि./बी.बी.एन.एल.)**	

4	मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड ने बैंकों को निर्देशित किया कि पर्यटन, पारंपरिक व्यवसाय (छोटे कुटीर उद्योग, हैण्डीक्राफ्ट एवं हैण्डलूम) एवं एस.एच.जी. के लिए अधिक से अधिक संख्या में ऋण प्रदान करें। **(कार्रवाई – समस्त बैंक/ समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)**	
5	**वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** के अंतर्गत होटल भवन निर्माण हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल को कृषि भूमि से व्यवसायिक भूमि में परिवर्तित करने से संबंधित शासनादेश जारी करने हेतु राज्य प्रशासन से अनुरोध है। **(कार्रवाई – सचिव,पर्यटन, उत्तराखंड शासन)**	
6	राज्य सरकार से अनुरोध है कि **बैंकों द्वारा ₹ 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों** को कृषि ऋणों की भाँति **"स्टॉम्प शुल्क"** से विमुक्त रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि अधिकतर एस0एच0जी0 गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं और इस हेतु प्राप्त बैंक ऋण राशि का उपयोग कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जाता है। **(कार्रवाई – सचिव, वित्त / सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन)**	

7	मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की अपेक्षानुसार बैंक, ग्रामीणों को फसली ऋृण की राशि ससमय एक मुश्त दें, जिससे कृषक मौसम आधारित फसलों की समयानुसार खेती कर सकें। बैंक विभिन्न फसलों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय करते समय, फसलों के लिए निर्धारित नए वित्तमान की दर से गणना करें। **(कार्रवाई – समस्त बैंक / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)**	
8	दिनांक 01 जनवरी, 2015 से राज्य के सभी जिलों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) योजना लागू हो रही है, इसलिए सभी बैंक अपने खाताधारकों के खाते में आधर कार्ड संख्या को अवश्य जोड़ने (Seeding of Aadhar Number in Bank Account) व्यवस्था करें। इसी क्रम में भारत सरकार से आग्रह है कि राज्य में आधर कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाएं। **(कार्रवाई – केंद्र एवं राज्य सरकार / समस्त बैंक)**	
9	वितीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बीमा कंपनियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सभी गाँवों में बैंक खाताधारकों को बैंकों के साथ मिलकर माइक्रो इंश्योरेंस योजना के तहत कवर करें एवं उससे संबंधित बीमा क्लेम फार्म एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं। **(कार्रवाई – ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी/ समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)**	

10	डी.एफ.एस., वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पुनः सभी बैंकों को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए सभी खाताधारकों को **ATM-RuPay-Debit Card** उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिल सके और बैंकों को निर्देशित किया कि वे खाताधारकों को शिक्षित करें कि बीमा लाभ हेतु प्रत्येक 45 दिन में उक्त रू-पे डेबिट कार्ड को सक्रिय कराना आवश्यक है। **(कार्रवाई – समस्त बैंक/ समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)**	
11	मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड ने सभी बैंक, बीमा कंपनी, बी.एस.एन.एल. एवं राज्य सरकार के विभाग को निर्देशित किया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की आगामी सभी बैठकों में शीर्ष स्तर के अधिकारी ही प्रतिभाग करें ताकि महत्वपूर्ण निर्णय सदन में ही लिए जा सकें। **(कार्रवाई – राज्य सरकार के विभाग / समस्त बैंक / बीमा कंपनी / बी.एस.एन.एल.)**	
12	सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक **दिसम्बर,** 2014 की त्रैमासिक **एस.एल.बी.सी. डाटा (विवरणी 1-49)** जाँच कर दिनांक 15 **जनवरी,** 2015 तक अनिवार्य रूप से **ई-मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in)** द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें । **(कार्रवाई सभी बैंक / अग्रणी जिला**	

	प्रबन्धक)	

****